

प्रश्न सं. [क. 1232]

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 14/5/15

क्रमांक एफ 44-4/2015/20-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमिक (राजपत्रित) संवर्ग अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं की पद संरचनाओं की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुरहानपुर एवं झाबुआ-

स.क.	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
प्रत्येक केन्द्र के लिये			
1	प्राचार्य	01	15600-39100+6600 ग्रेड पे
2	सहायक प्राध्यापक	03	15600-39100+5400 ग्रेड पे
3	वरिष्ठ व्याख्याता	05	9300-34800+4200 ग्रेड पे
4	व्याख्याता	08	9300-34800+3600 ग्रेड पे

उक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा-01 प्रारंभिक शिक्षा-101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना-1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आयोजना अंतर्गत विकलनीय होगा।

2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदा, उमरिया एवं श्योपुरकला में पूर्व से स्वीकृत पदों के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाते हैं:-

स.क.	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
प्रत्येक केन्द्र के लिये			
1	सहायक प्राध्यापक	01	15600-39100+5400 ग्रेड पे
2	वरिष्ठ व्याख्याता	03	9300-34800+4200 ग्रेड पे
3	व्याख्याता	04	9300-34800+3600 ग्रेड पे

उक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा-01 प्रारंभिक शिक्षा-101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना-1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आयोजना अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय) जबलपुर में पूर्व से स्वीकृत पदों के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाते हैं:-

स.क.	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
1	वरिष्ठ व्याख्याता	04	9300-34800+4200 ग्रेड पे

उक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा-02 माध्यमिक शिक्षा-105 शिक्षकों का प्रशिक्षण-3668 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर आयोजनेत्तर अंतर्गत विकलनीय होगा।

3/5/15
रिश्तर..2..

उक्त पदसंरचना अकादमिक (राजपत्रित) पदों के लिये प्रभावशील होगी। अकादमिक पद संरचना अन्य आदेश होने तक पूर्ववत रहेगी। म.प्र. के असाधारण राज. क्र० 402 दिनांक 26.08.2011 में उल्लेखित भर्ती अर्हता नियमों से अधिशासित होगी।

उपरोक्त पदसंरचना के संबंध में वित्त विभाग के क्र० सी.आर. 328/बी-3, दिनांक 16.03.2015 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी.एल. सोलंकी)

उप सचिव


म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 14/5/15

पृ० क्र० एफ 44-4/2015/20-2


प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
 3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र/लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
 4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
 5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, म.प्र. भोपाल
 6. कलेक्टर, जिला-बुरहानपुर, झाबुआ, हरदा, उमरिया, श्योपुरकला, जबलपुर, म.प्र.
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर, झाबुआ, हरदा, उमरिया, श्योपुरकला, जबलपुर, म.प्र.
 8. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
 10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-बुरहानपुर, झाबुआ, हरदा, उमरिया, श्योपुरकला, जबलपुर, म.प्र.
 11. प्राचार्य, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदा, उमरिया, श्योपुरकला, बुरहानपुर एवं झाबुआ, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. आर्डर बुक


उप सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

राकेश मुले:


13.3.15

